

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक : एफ / विकास / 2019 / 624

दिनांक: 11-07-2019

प्रति,

1. प्राचार्य/प्राचार्या  
जीवाजी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय
2. विभागाध्यक्ष,  
समस्त अध्ययनशालाएँ,  
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

विषय : शिक्षकों की वरिष्ठता सूची 2020 का प्रकाशन।

महोदय/महोदया,

1. विश्वविद्यालय द्वारा परिनियम 19 के अन्तर्गत शिक्षक वरिष्ठता सूची 2020 का प्रकाशन किया जाना है। वर्ष 2019 की वरिष्ठता सूची का कृपया अवलोकन करें। जिन शिक्षकों के नाम गतवर्ष की वरिष्ठता सूची में नहीं थे और जिनकी इस वर्ष नई नियुक्ति हुई है या जिनका कैडर में परिवर्तन हुआ है अथवा जो स्थानांतरित होकर या अन्य किसी कारण आपकी संस्था में वर्ष 2019 में पदस्थ हुये हैं उनके नाम वरिष्ठता सूची वर्ष 2020 में जोड़ने के लिये संलग्न प्रपत्र प्रतिपूर्ति कर विवरण दिनांक 08/08/2019 तक इस कार्यालय को अग्रेषित करें।
2. संलग्न प्रपत्र पर दी गई जानकारी हेतु साक्ष्य भी संलग्न किये जावे। यदि किसी शिक्षक की नियुक्ति वि०वि० अध्यादेश 28(17) के अन्तर्गत हुई है तो कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रति अवश्य लगायें, तभी संश्लिषित नाम वरिष्ठता सूची में शामिल किया जा सकेगा। यदि अधूरी जानकारी दी जायेगी तो वरिष्ठता सूची में नाम दर्ज नहीं किया जावेगा। प्रकरणों में भी पुनः जानकारी वरिष्ठता सूची में सम्मिलित हेतु भेजी जाना निवेदित है।
3. पूर्व वर्ष की वरिष्ठता सूची का क्रमांक अवश्य अंकित करें।
4. गत वर्ष की वरिष्ठता सूची में यदि आपकी संस्था के किसी शिक्षक के कैडर अथवा नाम में त्रुटि हुई है, तो उसकी सूचना दें तथा शिक्षकों की तत्सम्बन्धी आपत्तियों को सप्रमाण सत्यापन कर अग्रेषित करने की व्यवस्था करें।
5. उन शिक्षकों का विवरण भी साथ में भेजें, जिनके नाम गत वर्ष की सूची में जुड़े हैं और आपकी संस्था से स्थानांतरित हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं या अन्य किसी कारणों से अब संस्था में नहीं हैं। इसके साथ ही नाम व श्रेणी को वरिष्ठता सूची में चैक कर लें। यदि कोई त्रुटि है तो सुधार हेतु आवेदन करें। जानकारी के आभाव में यदि उनका नाम उक्त स्थान पर आने से रह जाता है तो वे इसके लिये स्वयं उत्तरदायी होंगे।
6. शिक्षकों की जन्मतिथि की जानकारी न होने पर वरिष्ठता सूची में नाम दर्ज नहीं किया जावेगा।
7. पत्र की एक प्रति सूचना पटल पर लगायें, जिससे किसी शिक्षक को आपत्ति न रहे।
8. यदि किसी भी महाविद्यालय/अध्ययनशाला के शिक्षक का नाम वरिष्ठता सूची में जुड़ने से रह जाता है तो इसके लिये संबंधित प्राचार्य/विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे।

उल्लेखनिय है कि विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद एवं संकायाध्यक्ष की नियुक्ति महामहिम कुलाधिपति जी द्वारा विश्वविद्यालय की ही वरिष्ठता सूची के आधार पर की जाती है। अतः समस्त प्राचार्यों से अनुरोध है कि आवश्यक रूप से समस्त शिक्षकों के नाम कैडर के अनुसार वरिष्ठता सूची में सम्मिलित करने हेतु भेजने का कष्ट करें।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, ग्वालियर-चम्बल संभाग, मांती महल परिसर, लश्कर (ग्वालियर)
2. श्री संजय बरतरिया, नोडल ऑफिसर (आई.टी.) पत्र को वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।

सहायक-कुलसचिव (विकास)

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक : एफ / विकास / 2019 /

दिनांक: .....

प्रति,

1. प्राचार्य / प्राचार्या  
जीवाजी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय
2. विभागाध्यक्ष,  
समस्त अध्ययनशालाएँ,  
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

विषय : शिक्षकों की वरिष्ठता सूची 2020 का प्रकाशन।

महोदय / महोदया,

1. विश्वविद्यालय द्वारा परिनियम 19 के अन्तर्गत शिक्षक वरिष्ठता सूची 2020 का प्रकाशन किया जाना है। वर्ष 2019 की वरिष्ठता सूची का कृपया अवलोकन करें। जिन शिक्षकों के नाम गतवर्ष की वरिष्ठता सूची में नहीं थे और जिनकी इस वर्ष नई नियुक्ति हुई है या जिनका कैंडर में परिवर्तन हुआ है अथवा जो स्थानांतरित होकर या अन्य किसी कारण आपकी संस्था में वर्ष 2019 में पदस्थ हुये हैं उनके नाम वरिष्ठता सूची वर्ष 2020 में जोड़ने के लिये संलग्न प्रपत्र प्रतिपूर्ति कर विवरण दिनांक 08/2019 तक इस कार्यालय को अग्रेषित करें।
2. संलग्न प्रपत्र पर दी गई जाँकारी हेतु साक्ष्य भी संलग्न किये जावे। यदि किसी शिक्षक की नियुक्ति वि०वि० अध्यादेश 28(17) के अन्तर्गत हुई है तो कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रति अवश्य लगायें, तभी संबंधित नाम वरिष्ठता सूची में शामिल किया जा सकेगा। यदि अधूरी जानकारी दी जायेगी तो वरिष्ठता सूची में नाम दर्ज नहीं किया जावेगा। प्रकरणों में भी पुनः जानकारी वरिष्ठता सूची में सम्मिलित हेतु भेजी जाना निवेदित है।
3. पूर्व वर्ष की वरिष्ठता सूची का क्रमांक अवश्य अंकित करें।
4. गत वर्ष की वरिष्ठता सूची में यदि आपकी संस्था के किसी शिक्षक के कैंडर अथवा नाम में त्रुटि हुई है, तो उसकी सूचना दें तथा शिक्षकों की तत्सम्बन्धी आपत्तियों को सप्रमाण सत्यापन कर अग्रेषित करने की व्यवस्था करें।
5. उन शिक्षकों का विवरण भी साथ में भेजें, जिनके नाम गत वर्ष की सूची में जुड़े हैं और आपकी संस्था से स्थानांतरित हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं या अन्य किन्हीं कारणों से अब संस्था में नहीं हैं। इसके साथ ही नाम व श्रेणी को वरिष्ठता सूची में चैक कर लें। यदि कोई त्रुटि है तो सुधार हेतु आवेदन करें। जानकारी के आभाव में यदि उनका नाम उक्त स्थान पर आने से रह जाता है तो वे इसके लिये स्वयं उत्तरदायी होंगे।
6. शिक्षकों की जन्मतिथि की जानकारी न होने पर वरिष्ठता सूची में नाम दर्ज नहीं किया जावेगा।
7. पत्र की एक प्रति सूचना पटल पर लगायें, जिससे किसी शिक्षक को आपत्ति न रहे।
8. यदि किसी भी महाविद्यालय/अध्ययनशाला के शिक्षक का नाम वरिष्ठता सूची में जुड़ने से रह जाता है तो इसके लिये संबंधित प्राचार्य/विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे।  
उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद एवं संकायाध्यक्ष की नियुक्ति महामहिम कुलाधिपति जी द्वारा विश्वविद्यालय की ही वरिष्ठता सूची के आधार पर की जाती है। अतः समस्त प्राचार्यों से अनुरोध है कि आवश्यक रूप से समस्त शिक्षकों के नाम कैंडर के अनुसार वरिष्ठता सूची में सम्मिलित करने हेतु भेजने का कष्ट करें।


भवदीय

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, ग्वालियर-चम्बल संभाग, मोती महल परिसर, लश्कर (ग्वालियर)
2. श्री संजय बरतरिया, नोडल ऑफिसर (आई.टी.) पत्र को वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।

सहायक-कुलसचिव (विकास)

  
2-7-19 02/07/2019

**APPLICATION FOR THE INCLUSION IN THE LIST OF  
PRINCIPAL / PROFESSOR / READER / LECTURER**

To,  
The Registrar,  
Jiwaji University,  
Gwalior

Sir,  
I request that my name be included in the Seniority List of .....  
(Designation) particulars of my service are as under:-

1. Name .....
2. Date of Birth (in words) .....
3. Academic Qualification .....
4. Name of the college where presently posted .....
5. Subject .....
6. Date from which present post is held .....
7. Scale of pay in the present post .....
8. Teaching  
Degree Classes from ..... to .....
- Post Graduate Classes from ..... to .....
9. Teaching post held (chronologically) prior to appointment/promotion to the present post.

Description of Post	Name of Institution in which post was held	Period		Scale of Pay
		From	To	

- (1) A Teacher in service under the M.P. Govt. need not give the name of various colleges to which he was posted in any particular capacity.
- (2) Change in the cadre (to Reader, Professor and Principal) and the date of appointment/promotion in each cadre and the pay scale should be clearly stated.

I declare that the particulars given are correct.

**Signature of applicant**

Place : .....  
Dated : .....

Full Name .....  
Designation .....  
College/Teaching Department .....  
.....

